दून विश्वविद्यालय, देहरादून

कुलसचिव कार्यालय

संख्या 63/236 DU/2021 दिनांक 30 जनवरी 2021

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या– 1404/XXIV-C-4/2020-01(07)/2020 दिनांक 11 दिसम्बर 2020 जो कि कोविड–19 के कारण प्रभावित पठन–पाठन को आफलाईन मोड में पुनः संचालित करने हेतु राज्य के समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को दिनांक 15.12.2020 से भौतिक रूप से खोले जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश से सम्बन्धित था, के क्रम में विश्वविद्यालयों को पुनः ऑफलाइन मोड में संचालित किये जाने के निर्देश हुये हैं। इस क्रम में समस्त विभागाध्यक्षों, प्रभारी विभागाध्यक्षों एवं फैकल्टी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दून विश्वविद्यालय को सोमवार दिनांक 08 फरवरी 2021 से ऑफलाइन मोड में पुनः संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय को ऑफलाइन मोड में खोलने हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं–

1. प्रारम्भ में कक्षाओं का संचालन पालियों में किया जायेगा। स्थितियां सामान्य होने पर पुनर्व्यवस्था लागू की जायेगी। वैकल्पिक दिनों में भी कक्षाओं के संचालन की व्यवस्था की जायेगी।
2. छात्र/छात्राओं की भीड़ को नियन्त्रित करने के लिये विभाग द्वारा शिक्षण कार्य की समय–सारिणी इस प्रकार बनायी जायेगी कि अलग–अलग समय पर विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश करें/छोड़ें।
3. विश्वविद्यालय खुलने पर राज्य के बाहर से आने वाले छात्रों (छात्रावास में रहने वाले छात्रों सहित) के लिये Covid-19 (RT-PCR) टेस्ट कराना अनिवार्य होगा।
4. सभी छात्र छात्राओं, कर्मचारियों एवं फैकल्टी सदस्यों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा विश्वविद्यालय परिसर में सामाजिक दूरी का पालन करना आवश्यक होगा।
5. कक्षाओं एवं पुस्तकालय में निर्धारित दूरी पर छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था की जायेगी एवं सभी व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं तथा पुस्तकालय को नियमित रूप से समय समय पर सेनेटाइज किया जायेगा
6. विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर ही सैनेटाइजर, हैण्डवाश, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जायेगी। किसी भी छात्र–छात्रा, शिक्षक एवं स्टाफ को खॉसी, जुकाम, बुखार के लक्षण होने पर विश्वविद्यालय के फैकल्टी लॉज में स्थित क्लिनिक में प्राथमिक उपचार देते हुए वापस घर भेज दिया जायेगा।
7. विश्वविद्यालय को पुनः खोले जाने की व्यवस्था का सतत् अनुश्रवण और अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु स्कूल/विभाग स्तर पर एक–एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जिसके द्वारा नियमित रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन को कृत कार्यवाही की प्रगति उपलब्ध कराई जानी होगी। प्रत्येक स्कूल/विभाग हेतु नामित नोडल अधिकारी भी अधिष्ठाता छात्र कल्याण से इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देश लेते रहेंगे।

8. विश्वविद्यालय में मेन्टल हेल्थ केयर सेल/एन0सी0सी0 यूनिट द्वारा कोविड–19 के फैलाव और रोकथाम के उपायों से समस्त विद्यार्थियों को जागरूक किया जायेगा।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

(डा0 एम0 एस0 मन्द्रवाल)
उप कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति को कुलपति महोदया के सूचनार्थ।
2. वित्त नियन्त्रक।
3. समस्त विभागाध्यक्षों/प्रभारी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने स्कूल के छात्र छात्राओं को प्रचलित संचार माध्यमों से उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित करेंगे।
4. अधिष्ठाता छात्र कल्याण,
5. चीफ प्रॉक्टर।
6. चीफ हॉस्टल वार्डन एवं हॉस्टल वार्डन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सहायक परीक्षा समन्वयक।
8. डा0 सविता कर्नाटक तिवारी, सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान।
9. डा0 स्मिता त्रिपाठी, ए0एन0ओ0 एन0सी0सी0।
10. समस्त फैकल्टी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. प्रभारी, केन्द्रीय पुस्तकालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. चिकित्सा अधिकारी, फैकल्टी लॉज।
13. सहायक कुलसचिव, परिसम्पति को इस आशय के साथ कि वे मुख्य गेट पर सैनेटाइजर, हैण्डवाश, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था एवं परिसर को नियमित रूप से सैनेटाइज किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चत करेंगे।
14. सुरक्षा सुपरवाइजर एवं सफाई सुपरवाइजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. आई0टी0 प्रभारी को इस आशय के साथ कि कृपया सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करें।

(डा0 एम0 एस0 मन्द्रवाल)
उप कुलसचिव